

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 900/2018 अनवान मेवाराम बनाम दुर्गाराम

नम्बर व
तारीखअहकाम जो
इस हुकम की
तामील मे जारी
हुए

17-02-21


आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा सोमानियों की ढाणी पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 611/551 रकबा 53.09 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण के खेत की पक्की नेखमबन्दी की जाती है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सोमानियों की ढाणी पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 611/551 रकबा 53.09 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


उप सज्जद अधिकारी
बाडमेर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क रीडर/2021/304

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

दिनांक - 17.02.21

मेवाराम पुत्र मानाराम वगैराह जाति
भील निवासी सोमानियों की ढाणी
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 दुर्गाराम पुत्र द्वारकाराम वगैराह जाति भील
निवासी सोमानियों की ढाणी तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 900/2018

दिनांक- 17.02.21

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सोमानियों की ढाणी पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 611/551 रकबा 53.09 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2021/305-08

दिनांक- 17.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जालीपा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मेवाराम पुत्र मानाराम वगैराह जाति भील निवासी सोमानियों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी दुर्गाराम पुत्र द्वारकाराम वगैराह जाति भील निवासी सोमानियों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर